तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>एकल पीठ</u> **श्री सूरजभान जैमन, सदस्य** **<u>उपस्थित–</u>** श्री सुनील गर्ग राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही। –––– **<u>निर्णय</u>** **<u>दिनांक 14.8.2018</u>** यह रेफरेन्स जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 71/2005 में पारित निर्णय दिनांक 01–03–2006 के द्वारा अपनी अभिशंषा के साथ राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, डूंगरपुर ने धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में एक रेफरेंस पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कण्डूला की मिसल बंदोबस्त संवत 2001–2010 में साबिक खसरा नंबर 266 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा की किस्म नाला दर्ज रिकार्ड थी। हाल भू प्रबन्ध के दौरान उक्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 281 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा कायम किया गया। आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा उक्त खसरा नंबर 281 की 05 बिस्वा भूमि की किस्म सू–ा में परिवर्तित कर उसका नियमन थावरा पिता बदा जाति मीणा निवासी कण्डूला तहसील डूंगरपुर को जरिये आदेश दिनांक 23–4–65 के द्वारा किया तथा उक्त आवंटन/नियमन की पालना में में नामांतरकरण संख्या 02 दिनांक 30–4–1967 अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत किया गया तथा इसकी प्रविष्ट जमाबंदी संवत 2049–2052 में की गई। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म परिवर्तन कर उक्त आराजी विपक्षी के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि को गै.मु. नाला सिवायचक के रूप में दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है। प्रकरण राजस्व मण्डल में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया परन्तु वे अनुपस्थित रहे। हमने विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त **भूमि गै.मु. नाला** सिवायचक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अन्त में उन्होंने विवादित आराजी के संबंध में अप्रार्थी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज को निरस्त कर आराजी को राजस्व रेकार्ड में **पूर्ववर्ती गै0मु0नाला** दर्ज करने का निवेदन किया। हमने विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2008 ग्राम कन्डूला तहसील डूंगरपुर का अवलोकन किया जिसमें आराजी साबिक खसरा नंबर 266 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा की किस्म बिलानाम गैरकाबिल काश्त नाला अंकित है। मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नंबर 266 रकबा 01.10 बीघा का नवीन खसरा नंबर 281 रकबा 01.05 व अन्य दो खसरा नंबरान कायम किये गये। नामांतरकरण संख्या 02 से स्पष्ट है कि थावरा वल्द वदा भील को खसरा नंबर 281/1 की 05 बिस्वा भूमि का आवंटन होने से उसके पक्ष में नामांतरकरण स्वीकृत किया गया। हाल जमाबंदी संवत 2049 से 2052 में खसरा नंबर 475/281 की 05 बिस्वा किस्म सू–ाा की भूमि ककुआ पुत्र थावरा भील सा. देह दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट है कि भूमि पूर्व में गै. मु. नाला दर्ज थी जिसमें से विवादित भूमि की किस्म परिवर्तित कर उसे अप्रार्थी को आवंटित किया गया है तथा हाल जमाबंदी में उसका नाम दर्ज रिकार्ड किया गया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0नाला''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-** Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; प्रश्नगत भूमि पूर्व में **गै0मु0नाला** की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः– All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार की स्थिति में जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कन्डूला के खसरा नंबर 475/281 की 05 बिस्वा भूमि के गै0मु0 नाला से सू–iii के अप्रार्थी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज को आवंटन/नियमन किये गये आदेश की सीमा तक निरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड सन् 1947 एवं मिसल बंदोबस्त संवत 2008 अनुसार वापिस उसके मूल स्वरुप किस्म **"गै0मु0नाला"** राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सूरजभान जैमन)** **सदस्य**	